



प्रधानमंत्री (टीना लोधी)
प्रधानमंत्री कार्यालय
एवं विभागाध्यक्ष

Handwritten mark

अधिकारी एवं तहसीलदार दर्जी तथा अधीनस्थों को प्रेषित की जावे।
फलतः अधील अधीनस्थ अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना
कार्यालय अधीनस्थ नही होने से अधील अस्वीकार योग्य है।
कमांक 167 दिनांक 05.03.2026 से अधीलान्त को सिजवाया जा चुका है। अतः अधील से कोई
जवाब प्रेषित किया है कि अधीनस्थों द्वारा जारी सूचना के संबंध में जवाब उनके पत्र
हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दर्जी ने पत्र कमांक 30 दिनांक 01.06.2026 से
रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थों को सूचना देते तब किया गया। अधीनस्थों उपस्थित नही
अधिकारी एवं तहसीलदार दर्जी का पत्र कमांक 1149 दिनांक 19.05.2026, को प्रेषित कर
अधीनस्थों को प्रेषित की गई है। अधील दर्ज रजिस्टर कर अधील प्रमाणित लोक सूचना
अधीनस्थों को निर्धारित समयवाधि में सूचना उपलब्ध नही होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध
रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

4. उक्त खाली सूचना से संबंधित प्रारंभ से वर्तमान तक की सभी जमाबंदी, नकल एवं नामांतरण
—संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं

— विरासत / विक्रय (Sale) / उपहार (Gift) / अन्य

3. प्रत्येक नामांतरण का आधार क्या था:

- किस व्यक्ति से नामांतरण हुआ
- किस व्यक्ति के नाम नामांतरण हुआ
- प्रत्येक नामांतरण का कमांक एवं दिनांक

पूर्ण जानकारी दी जाए:

2. इस खाली सूचना पर अब तक जितनी भी नामांतरण (Mutation) प्रक्रियाएं हुई हैं, उनकी
— कृपया संबंधित आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाएं।

1. उक्त खाली सूचना की पूर्ण सभसे पहले किस व्यक्ति के नाम आवंटित (Allot) की गई थी?
खाली सूचना 152 (145पूराना) ग्राम रामपुरा इल्का.कनवाडा तहसील दर्जी के संबंध में—

उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अधीलान्त द्वारा निम्न वर्णित सूचना जारी गई—
6.04.2026 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दर्जी को अन्तर्हित कर प्रार्थी को सूचना
पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीनस्थों के अंतर्गत टॉक न पत्र कमांक 247 दिनांक
अधिलखाली कलेक्टर टॉक को आवंटन पत्र दिनांक 02.04.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर
अधिनियम के तहत अधील पेश की है। अधीलान्त द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीलान्त ने सूचना के अधिकार

दिनांक 04.06.2026 निर्णय

अधीनस्थ अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दर्जी
—प्रत्यर्थी
बनाम
—अधीनस्थ

प्रकरण सूचना
श्री बांदास लक्ष्मी निवासी न्यायिक सहायक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर
राज.
65/2026

न्यायालय प्रथम अधील अधिकारी एवं खाली कलेक्टर, टॉक